

कार्यालय,

राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार।

संख्या- प्राथिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संलग्नक- दिनांक 09/08/2021

कार्यालय ज्ञान:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2021-22 हेतु द्वितीय स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवंटित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करती हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. सरकार द्वारा सत्र 2021-22 हेतु नियुक्ति शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसको अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2700-SHRI RAJENDRA SINGH COLLEGE OF PHARMACY, SAIDPUR, HARDOI

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें:

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा नियुक्ति की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य विनियम विषयों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इली0 पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30-50,000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000,000/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500,000/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सारान द्वारा निर्गत किये जाने वाले इतरसूचक प्रश्नों हों, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। जैसे निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को 12000 प्राथमिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को संबद्ध किया जाता/विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के कितने रह जाते की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क भर्ती करना होगा।

10/सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से आगामी वर्ष हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिविधियों/अधिनियमों/शासनदेशों/निदेशों एवं निर्देशक, प्राविधिक परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बताने गये विधियों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

दिल्लीमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ यदि पी सी आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और किसी भी कार्रवाई के लिए संस्था सक्षम उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशकालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बात दायर किया जाया है तथा दायर कद के संबंध में मा-साहाय्य द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तब समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ दिल्लीमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बताने वर्ष के लिए आवेक्षित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अथवा उन्हें प्रदेश की काउन्सिलिंग के माध्यम से अध्या संस्था स्तर पर सौंप प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित नवीनतम आरक्षण विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, सार्व-संज्ञ, उपकरण, लाल किया जाने वाला बुल्ड, छात्रवास बुल्ड आदि का वितरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रीगिंग सेट करने के संबंध में समस्त आवश्यक-छात्रस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संशोधित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, कर्मीचर उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संभालन में प्रयोग किया जाया है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति को जायेगी।
- ✓ संस्था के स्वतंत्र निरीक्षण दौरेन यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला उपकरण एवं अन्य संसाधनों पर 10/सी0टी0ई0पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाये जाय है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में तत्काल उत्तर प्रदेश शासनक कार्यालयी की जायेगी।

(सुनीत कुमार सोनकर)

सचिव

पु0सं0- प्राविधिक परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिस्ति:

प्रधानाचार्य/निदेशक SHRI RAJENDRA SINGH COLLEGE OF PHARMACY, SAIDPUR, HARDOI



(सुनीत कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

उत्तर प्रदेश तखनऊ।

तखनऊ दिनांक: 04/11/2022

संख्या - प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2022/10235

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मसी बाउन्डरिज ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा बौद्धिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० तखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 04/11/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता कृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुकूल में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० तखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 2780-SHRI RAJENDRA SINGH COLLEGE OF PHARMACY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, रेगुलेशन विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ शासन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय की उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण विधियों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, सार्व-सञ्च, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के औषक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सार्व-सञ्च ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(एफ०आर० खान)

सचिव

प०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/10236-10244

दिनांक: 04/11/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य,निदेशक, SHRI RAJENDRA SINGH COLLEGE OF PHARMACY

(एफ०आर० खान)

सचिव

कार्यालय

अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश राज्यसभा

संख्या- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2023/12000001

तारीख: दिनांक: 12-09-2023

कार्यालय सापः

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से सम्मानित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद्, 3-9-2023 से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 वर लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित परीक्षा हमला हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एड.प्रो.प्रा.परीक्षा/परीक्षा/परीक्षा द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित परीक्षा हमला	परीषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित परीक्षा हमला
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुसूचा-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/18-30089/2022 टीओसी। दिनांक 18 नवंबर 2023 द्वारा पूर्व में सशक्तित सम्पन्न संस्थाओं की ओर के विद्यमान न्यायालय में अंतिम रिट दाखिल संख्या 5027/2023 में संसदीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्यात की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुक्रम संस्थान में सम्पन्न संस्थाओं (भूमि, बाजार, लैब उपकरण) आदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमन 1992, विनियमन 2000, रीगुलेटर विनियमन 2018 तथा समय-समय पर विद्यमान कानून/अंतिम अनुसूची के तहत शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही वसूल करवा करवा ले प्राप्त किया अथवा उपरोक्त के अतिरिक्त आवश्यकताओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सलाह द्वारा निर्णय किये जाये काले कानून/अंतिम कानून होने, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा, पीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त परीक्षा परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जावेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्णय कानून/अंतिम अनुसूची के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्णय विधि/विद्यार्थी/अधिनिर्णय/मानक/टीसी/मिटीसी एवं विदेशी, प्राविधिक शिक्षा, 3000, संयुक्त परीक्षा परिषद, 3000 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3000 द्वारा बनाये गये निर्णय, विनियमन, अंतिम, निर्देशों का पालन करने के विषये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में सम्पन्न उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विषय यदि कोई बात उत्तर किया जाता है तथा उत्तर बाद के संबंध में न. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी अंतिम निर्णय किया जाता है तो सम्पन्न प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।

उत्तर प्रदेश प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु सट्टानिश्चिंत छात्रा होने के पूर्व निम्न मातृकीय संस्थानों की शिक्षा परिषद/कार्यकारी काउन्सिल और इंडिया, नई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आदेशों विधियों का अनुपालन करना आवश्यक है।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राथमिक शिक्षा के सूचनात्मक पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाओं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सज्ज-सज्जा, उपकरण, प्राप्ति किया जाने वाला बुक, छात्रावास बुक आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त कक्षाकरण उपलब्ध कराने के साथ विभिन्न टैक्स के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को पार्यवेक्षण हेतु निर्देशिका समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-सूचना, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा (समितियाँ) और उपसमितियाँ, सैन्साली का सम्बद्ध किया जाता। विनियमावली, 2000 के प्रावधानानुसार परिषद की सेवा पर अपने कार्यवाही, सज्ज और फर्नीचर को परिषद को प्रेषित के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्थानीय निर्माण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सज्ज-सज्जा एकाधिकारी/सूची/पैठानी/आवृत्ति/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्त का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनसूचक कार्यवाही की जायेगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पृष्ठसं०- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SHRI RAJENDRA SINGH COLLEGE OF PHARMACY



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव